रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244108
CG-DL-E-03032023-244108

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1003] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944
No. 1003] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

का.आ. 1044(अ),—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, कर्नाटक राज्य भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (पैनः-AAALK0820C), कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड,को उस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) भवन एवं अन्य निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) के तहत वसूली गई निर्माण लागत पर एकत्रित उपकर;

(ख) संस्थापनाओं से प्राप्त पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक अंशदान; और

(ग) उक्त (क) तथा (ख) से अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि कर्नाटक राज्य भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड:-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

(ख) समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिनांक 01-06-2020 से दिनांक 31-03-2021 की अवधि के लिए)और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा यह वित्त वर्षों 2022-2023, 2023-2024, तथा 2024-2025के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 12/2023/फा. सं. 300196/61/2018-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव

स्पषटीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2023

S.O. 1044(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, Karnataka State Building and Other Construction Workers Welfare Board (PAN AAALK0820C), a Board constituted by the State Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Cess collected on construction cost levied u/s 3(1) of the Building and Other Construction Workers' Cess Act, 1996;

(b) Registration fee & annual subscriptions received from the establishments; and

(c) Interest earned on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Karnataka State Building and Other Construction Workers Welfare Board,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2020-2021 (for period from 01-06-2020 to 31-03-2021) and for the financial year 2021-2022 and shall be applicable with respect to the financial years 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 12/2023/F.No.300196/61/2018-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.03 22:17:45 +05'30'